अमरसिह आदि बनाम कृष्णलाल आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी की सांझा खाता की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने काफी अर्सा पूर्व बाहमि बंटवारा कर लिया था अब अप्रार्थी कृष्णलाल वाद भूमि में से अच्छी अच्छी भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थी अच्छी अच्छी भूमि को रहन बैय करता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये दिनांक 18.03.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र में दर्शाये गये विभाजन के अनुसार मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि दो भागों में विभाजित होती है। जबकि प्रार्थी का एकल खेत है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अगर मुझ अप्रार्थी के खिलाफ रहन बैय एवं रिकार्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा से मुझ अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन एवं वकुलाए फरिकैन की बहस आदि से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की कृषि भूमि है एवं खाता विभाजन का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत लिया जाकर होना है। लेकिन वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिनके विरूद्ध रहन बैय एवं रिकार्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से उनके खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग प्रभावित होते है। इसलिये प्रकरण संख्या 28/2024 अनवान अमरसिंह आदि बनाम कृष्णलाल एवं प्रकरण संख्या 32/2024 अनवान कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि में दिनांक 18.03.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को सुरे ईजलास सुनाया गया। तहसीलदार सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:42 IST
Reason: SelfAttested

#2024|68 [handwritten]

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

कृष्णलाल बनाम अमरसिंह आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट — प्रकरण संख्या 22 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.03.2024	प्रार्थी कृष्णलाल की तरफ से वकील श्री अशोककुमार भादू ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा दनियासर के ख.नं. 180/2 की 4.2998 है. भूमि को अप्रार्थीगण रहन बैय करने से निषेद्ध रहें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 15.04.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
15.4.24	पुकार फरीकैन उपस्थित/PU मार्फ [handwritten] है। पत्रावली [handwritten] वास्ते [handwritten] दिनांक 22.4.2024 [handwritten] को पेश हो [signature]	
22/4/2024	पुकार फरीकैन उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया। पत्रावली सं. 28/2024 [handwritten] अमरसिंह बनाम कृष्णलाल में हुए आदेश दिनांक 22/4/2024 की पालना में यह पत्रावली [handwritten] सं. 28/2024 के साथ शामिल की जाती है। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:42 IST
Reason: SelfAttested